

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक— प. 12(7)कार्मिक/क-2/2014 पार्ट

जयपुर दिनांक: 13.10.2020

1. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्र

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.08.2016 के द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि अनुकम्पा नियुक्ति नियमों की कठोरता से पालना की जावे तथा आवेदक द्वारा निम्नतर वेतनमान का पद स्वीकार न करने व आवेदित पद की प्रतीक्षा करने की स्थिति में आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से दो वर्ष तक विभाग आवेदन पत्र को प्रतीक्षा में रखने के उपरान्त ही, प्रकरण अन्यत्र विभाग में नियुक्ति हेतु कार्मिक विभाग को भेजा जावे।

उक्त परिपत्र के जारी होने के पश्चात, राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि कई विभागों में पद लंबे समय तक उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन पत्र 2 वर्ष तक प्रतीक्षा में रहते हैं। ऐसी स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति समय पर नहीं मिलने के कारण मृतक कर्मचारी के परिवार को तुरन्त राहत नहीं मिल पाती है तथा पद रिक्त रहने से राजकीय कार्य भी प्रभावित होता है। परिणामस्वरूप उक्त परिपत्र दिनांक 16.08.2016 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः सभी नियुक्ति विभागों/प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में पद रिक्त न होने की स्थिति में आवेदन पत्र 2 वर्ष तक प्रतीक्षा में रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि विभाग में आवेदक की योग्यता/पात्रता के अनुरूप पद उपलब्ध नहीं होता है तो कार्मिक विभाग को आवेदन पत्र अग्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि मृतक के आश्रित को नियमानुसार अन्य विभाग में रिक्त पद पर शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जा सके।


12/10/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

58/2020